Dy 395/29/12/20 Compu

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांकः 15284 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम–126/2008 दिनांकः 23/12/2020

कार्यालय–ज्ञाप

मेसर्स पृथ्वी सिंह इण्टरप्राइजेज(सोल प्रो0–श्री सतीश नागर), बी–27, नेहरु अपार्टमेन्ट, नेहरुनगर गाजियाबाद में मार्ग कार्यों की ठेकेदारी हेतु श्रेणी "ए" में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक–1849एम.टी./सामान्य वर्ग/54एम.–126/08 दिनांक–21.04.2017 द्वारा दिनांक–30.06.2019 तक के लिए किया गया था।

जनपद गौतमबुद्धनगर में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज–10 के अन्तर्गत पैकेज संख्या–यू0पी0–2756 के गठित अनुबन्ध संख्या–01/एस0ई0–पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त मेरठ/13–14, दिनांक–18.04.2013 द्वारा निर्मित मार्ग राष्ट्रीय मार्ग से निकट मायचा रेलवे क्रासिंग मार्ग एवं जी0टी0 रोड से बैरंगपुर फूलपुर लिंक मार्ग का निर्माण कार्य/अनुरक्षण कार्य मेसर्स पृथ्वी सिंह इण्टरप्राइजेज, बी–27, नेहरु अपार्टमेन्ट, नेहरुनगर गाजियाबाद एवं अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई वृत्त, लो0नि0वि0 मेरठ के मध्य गठित किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार को अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत 13 बिन्दुओ पर जैसे पैच मरम्मत, पटरी मरम्मत, जंगल सफाई, पुलियों की मरम्मत, बोर्ड की पेंटिंग इत्यादि कार्य करना था। किन्तु ठेकेदार के द्वारा उक्त अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ न करने के कारण काली सूची में डाले जाने हेतु कारण बताओ नोटिस का आलेख मुख्य अभियन्ता, पी0एम0एस0वाई0, लो0नि0वि0 मेरठ के पत्र सं0–1306/05सी(प्रा0प0)/2019, दिनांक–05.07.2019 द्वारा उपलब्ध कराया गया था। जिसे इस कार्यालय के पत्र सं0–11402एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0–126/05, दिनांक–31.07.2019 द्वारा मेसर्स पृथ्वी सिंह इण्टरप्राइजेज, बी–27, नेहरु अपार्टमेन्ट, नेहरुनगर गाजियाबाद को निर्गत करते हुए उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर 15 दिनों में उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त कारण बताओ नोटिस के उपरान्त फर्म/ठेकेदार को पुनः स्मरण पत्र सं0–440एम0टी0/ 54एम0–126/08, दिनांक–15.01.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के निर्देश दिए गए थे। कारण बताओ नोटिस का उत्तर फर्म/ठेकेदार द्वारा अपने पत्र दिनांक–28.08.2019 द्वारा उपलब्ध कराया गया कि **अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता ने आश्वासन दिया गया कि पेरिफेरल एक्सेप्रेस–वे काम खत्म होने पर NHAI उक्त मार्गों को पूर्ववर्ता दशा में निर्माण कर, हमें हैंड ओवर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता ने NHAI ठेकेदार से सांठगांठ कर बजाये उक्त सड़कों की मरम्मत करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। जिसके बारे में विभिन्न अखबारों में भी छपता आ रहा है। NHAI द्वारा टूटी सड़के अखबारवालों को जो दिख रही है लेकिन अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता को नहीं दिख रही है।** फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रेषित किए गए कारण बताओ नोटिस के उत्तर को इस कार्यालय के पत्र सं0–1674एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0–126/08, दिनांक–10.02.2020 द्वारा मुख्य अभियन्ता, पी0एम0एस0वाई0, लो0नि0वि0 मेरठ को प्रेषित कर उक्त उत्तर पर स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त के क्रम में मुख्य अभियन्ता, पी0एम0एस0वाई0, लो0नि0वि0 मेरठ के पत्र सं0–1124/ 142सी(प्रा0प0)/2020, दिनांक– 20.10.2020 द्वारा **उपलब्ध करायी गयी आख्या में फर्म/ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार को अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत 13 बिन्दुओ पर जैसे पैच मरम्मत, पटरी मरम्मत, जंगल सफाई, पुलियों की मरम्मत, बोर्ड की पेंटिंग इत्यादि काय करना था। किन्तु ठेकेदार के द्वारा किसी भी बिन्दु पर कोई कार्यवाही न करने के कारण मेसर्स पृथ्वी सिंह इण्टरप्राइजेज, बी–27, नेहरु अपार्टमेन्ट, नेहरुनगर , गाजियाबाद को काली सूची में डालने हेतु पुनः संस्तुति की जाती है।**

उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक–31.07.2019 में दिये गये बिन्दुओं, फर्म/ठेकेदार के उत्तर दिनांक–28.08.2019 तथा मुख्य अभियन्ता, पी0एम0एस0वाई0, लो0नि0वि0 मेरठ से प्राप्त आख्या दिनांक–20.10.2020 के अलोक में परीक्षण किया गया तो स्पष्ट हुआ कि फर्म/ठेकेदार को अधिशासी अभियन्ता, अ.ख.(प्र.प.), लो0नि0वि0 गौतमबुद्धनगर का दि0–06.05.2017, दिनांक–05.06.2017, दिनांक–18.09.2018 एवं दिनांक–05.11.2018 एवं अधीक्षण अभियन्ता पीएमजीएसवाई लो0नि0वि0 मेरठ का पत्र दिनांक–23.05.2017, दिनांक–08.10.2018 एवं दिनांक–19.11.2018 द्वारा अनुरक्षण कार्य हेतु निर्देशित किया गया था

क्रमशः पेज–2

परन्तु फर्म/ठेकेदार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे मार्ग की दशा अत्यन्त खराब रही तथा आमजन को कठिनाई हुई, जिसके लिए फर्म/ठेकेदार पूरी तरह दोषी है।

अतः शासनादेश सं0–2365/एम0एस0/27–पी0डब्लू0–41एम0एस0/1954, दिनांक–24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–362एम0टी0जी0/एफ–68, दिनांक–08.10.1982 द्वारा निर्गत ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली के नियम–15(1) एवं उपर्युक्त पंजीकरण संबंधी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या–4127एम0एस0/23 सा0नि0अनु(7), दिनांक–02.12.1974 के अन्तर्गत मैसर्स पृथ्वी सिंह इण्टरप्राइजेज(सोल प्रो0–श्री सतीश नागर), बी–27, नेहरु अपार्टमेन्ट, नेहरुनगर गाजियाबाद को अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए **काली सूची (Black List)** में डाले जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किए जाते हैं।

यह आदेश प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लो0नि0वि0 लखनऊ महोदय के अनुमोदन के परिपेक्ष्य में निर्गत किये जाते है।

यह आदेश काली सूची/डिबार रजिस्ट्रर के क्रमांक–31 पर अंकित है।

ह0/–
(आर0सी0 शुक्ला)
मुख्य अभियन्ता (मु0–2)
लो0नि0वि0 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. उप सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0 एस0 वाई0, सेतु/वाहृय सहायतित इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
4. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ को उनके संदर्भित पत्र सं0–1124/142सी (प्रा0प0)/2020, दिनांक–20.10.2020 के संदर्भ में।
6. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियत्रंण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई वृत्त वृत्त, लो0नि0वि0 मेरठ।
10. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर डाले जाने हेतु प्रेषित।
11. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो0नि0वि0, गौतमबुद्धनगर को उपरोक्त आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उपरोक्त फर्म/ठेकेदार को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

पंजीकृत 12. मेसर्स पृथ्वी सिंह इण्टरप्राइजेज(सोल प्रो0–श्री सतीश नागर), बी–27, नेहरुअपार्टमेन्ट, नेहरुनगर गाजियाबाद।

(एम0एम0निसार)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0)
लो0नि0वि0 लखनऊ